संख्या-6/ 2021/एक-9-2021

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 09 जून, 2021**

विषयः उ0प्र0 के कृषकों के लिए संचालित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु अनुदान संख्या-52 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आर-1611/16-99जी/मु0कृ0दु0क0यो0/2021, दिनांक 28.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अनुदान संख्या-52 के "लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-110-अन्य बीमा योजनायें-06-मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना-42-अन्य व्यय" योजना के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रूपये 600.00 करोड़ के सापेक्ष जनपदों द्वारा माह मई, 2021 तक प्रेषित वास्तविक मांग के आधार पर **प्रथम किश्त** के रूप में रूपये 231.05 करोड़ (रूपये दो सौ इकत्तीस करोड़ पाँच लाख मात्र) की धनराशि का आवंटन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो, ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का भी विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय उ0प्र0 के कृषकों के लिए संचालित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु निर्गत संगत शासनादेश संख्या-1/2020/मु0स0-11/एक-9-2020, दिनांक 28 फरवरी, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के

अनुरूप दावों के भुगतान किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देशों के अनुरूप दावों के भुगतान हेतु किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय अन्य मदों के क्रियान्वयन में न किया जाय। धनराशि आहरित कर बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाय। साथ ही मदों में व्यय स्वीकृत धनराशि के भीतर ही सीमित रखा जाय। इसके अतिरिक्त दावों के भुगतान की सूचना नियमित रूप से राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-52 के "लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-110-अन्य बीमा योजनायें-06-मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/10-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में विहित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-6/2021(1)/एक-9-2021, तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- राजस्व अनुभाग-6।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।